न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ (त्वरित न्यायालय)/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 971/2026
आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ कुरैशी, निवासी मौहल्ला गुली छडियान, कैराना, जिला शामली।
.... आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली।
.... विपक्षी,
मु०अ०सं०– 188/2026
धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट,
थाना–कैराना, जिला शामली,

दिनांकः–07.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ कुरैशी** की ओर से मु०अ०सं० 188/2026, धारा– 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कैराना, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

2. अभियोजन कथानक सक्षेंप में इस प्रकार है कि प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के रवानाशुदा रफ्ता रपट रो० आम तारीख इमरोजा से बाद गश्त देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन विवेचना के रवाना शुदा रफ्ता रपट रो० आम तारीख इमरोजा से बाद गश्त देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित वारन्टी मुकदमा मर्जुआत व जाँच अहकामात से बाला बाला कार्यालय जिलाधिकारी जनपद शामली से मय एक किता गैंग चार्ट कुल 02 वर्क अनुमोदित शुदा द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद शामली व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शामली दिनांकित 19.03.2026 गैंगलीडर आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ कुरैशी नि० मौ० गुली छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली व सदस्य **1.** अंसार उर्फ अन्सार कुरैशी पुत्र अमीर उर्फ आमिर अहमद निवासी मौ० छडियान कस्बा व थाना कैराना जिला शामली **2.** साबू कुरैशी उर्फ साबूद्दीन पुत्र कालू कुरैशी निवासी मौ० रेत्तेवाला कस्बा व थाना कैराना जिला शामली **3.** मेहरबान पुत्र शब्बीरा उर्फ मुखिया कुरैशी नि० मौ० आलकलां कस्बा व थाना कैराना जिला शामली **4.** शाहिद कुरैशी पुत्र बशीर नि० मौ० सुन्दरनगर कस्बा व थाना कैराना जिला शामली मय आदि दीगर कागजात कुल 109 वर्क के थाना वापस आया। तहरीर किया कि गैंगलीडर आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ कुरैशी नि० मौ० गुली छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली अपने साथियो (सदस्य) 1. अंसार उर्फ अन्सार कुरैशी पुत्र अमीर उर्फ आमिर अहमद निवासी मौ० छडियान कस्बा व थाना कैराना जिला शामली 2. साबू कुरैशी उर्फ साबूद्दीन पुत्र कालू कुरैशी निवासी मौ० रेत्तेवाला कस्बा व थाना कैराना जिला शामली 3. मेहरबान पुत्र शब्बीरा उर्फ मुखिया कुरैशी नि० मौ० आलकलां कस्बा व थाना कैराना जिला शामली 4. शाहिद कुरैशी पुत्र बशीर नि० मौ०

सुन्दरनगर कस्बा व थाना कैराना जिला शामली के साथ संगठित होकर भौतिक व आर्थिक व दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये गौकशी व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने व जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। जैसी घटनाओ में संलिप्त रहे है। फलस्वरूप प्र०नि० पुलिस थाना कैराना द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त किसी गैंग का लीडर नहीं है। मुकदमा उपरोक्त के सहअभियुक्तगण की जमानत उच्च न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। आवदेक/अभियुक्त गवाह व साक्ष्यों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 17.04.2026 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर आवेदक /अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

5. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का इस आपराधिक मुकदमें के अतिरिक्त अन्य आपराधिक मुकदमों का निम्न आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया हैः–

क्रम सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	288/2023	2/3 गैंगस्टर एक्ट	थाना कैराना, जिला शामली
2	276/2024	3/11 पशु क्रूरता अधिनियम	
3	672/2024	115(2), 131, 351(2), 352 बी०एन०एस०	थाना कैराना, जिला शामली
4	72/2025	115(2), 191(3), 191(2), 333, 351(2), 352 बी०एन०एस०	थाना कैराना, जिला शामली
5	75/2025	25 आयुध अधिनियम	थाना कैराना, जिला शामली
6	80/2025	3/25 आयुध अधिनियम	थाना कैराना, जिला शामली
7	166/2025	3/5/8 उ०प्र० गौवध अधिनियम,	
8	169/2025	3/25/27 आयुध अधिनियम, 3/5/8 गौवध अधिनियम, 109(1)3(5) बी०एन०एस०	थाना कैराना, जिला शामली
9	189/2026	125, 333, 351(2), 352 बी०एन०एस०	थाना कैराना, जिला शामली

7. आवेदक/अभियुक्त को कथित गैंग का लीडर होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर गौकशी करने व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने जैसे अपराध का आरोप है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर पूर्व में भी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज है। ऐसे में आवेदक/अभियुक्त के पुनः किसी अपराध में संलिप्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ कुरैशी** की ओर से मु०अ०सं० 188/2026, धारा– 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कैराना, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

ऋतु नागर
अपर सत्र न्यायाधीश/(त्वरित न्यायालय),
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।
J.O. I.D No.1671